

10.08.2020, पत्रावली पत्र 1-चुंकि मूल दावा जरिमे अदम
हाजिरी अदम पैरवी में खारिज किया जा
-यूका है अतः प्रार्थना-पत्र-चलाये
जाने का कोई औचित्य नहीं है इसलिए
प्रार्थना-पत्र को भी इसी स्तर पर
खारिज किया जाता है
पत्रावली फेल्लय शुमार लेकर नंबर-दे
कम की जाकर दाखिल दफ्तर है।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रैक) सांचीर (जालोर)

